न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 54 / 2016 (उदयपुर डिक्री)

जगदीश पिता खेमा जी कुम्हार, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. वरदीचन्द पिता मेघराज जी ब्राहमण, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. देवीलाल पिता मेघराज जी ब्राहमण, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. किशनलाल पिता मेघराज जी ब्राहमण, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. जगदीश पिता मेघराज जी ब्राहमण, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती धन्नी बेवा मेघराज जी ब्राहमण, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. राधेश्याम पिता खेमा जी कुम्हार, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. ब्रदीलाल पिता खेमा जी कुम्हार, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती भूरी बाई पिता खेमा पत्नी गेहरीलाल जी कुम्हार, निवासी छीपो का आकोला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
9. श्रीमती चांदी बाई पिता खेमा जी पत्नी काशीराम जी कुम्हार, निवासी बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
10. श्रीमती सोहनी बाई पिता खेमा कुम्हार, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, हाल ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. काशीराम पिता खेमा जी कुम्हार, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

11/1. श्रीमती वदी बाई पत्नी जी कुम्हार, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

11/2. कैलाश पिता जी कुम्हार, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 25.06.2015 प्र.सं. 407/20013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री एस. पी. गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजमल मेनारिया अभि. रे. सं. 1 से 5

———::———

निर्णय **दिनांक 16–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुरूषोत्तमपुरा में आराजी नंबर 102/1 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है, जिसके पश्चिम में प्रतिवादी की खाते की आराजी नंबर 102/4 रकबा 4 बीघा स्थित है। उक्त दोनों आराजी के बीच पहले कोई बाड नहीं थी, लेकिन वर्ष 2012 में वादीगण की अनुपस्थिति में जबरन बाड़ कर कब्जा कर लिया। अतः वादी को पुनः कब्जा दिलाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25–06–2015 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12–07–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री राजमल मेनारिया उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट ने दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट ने वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें पत्रावली जवाब हेतु नियत थी, किन्तु बिना जवाब लिये एवं बिना सूचना दिये

राजस्व कैम्प में निर्णय पारित कर दिया, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः उन्हें अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी, चूंकि अपीलान्ट प्रतिवादी खेमा का पुत्र है एवं खेमा का निधन हो चुका है। अतः दफा 96 जा.दी. का आवेदन न्यायहित स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना राजीनामा हुए प्रकरण राजस्व न्यायालय में रखकर वाद डिक्री किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी खेमा का पोता कैलाश उपस्थिति था, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को बिना सुने निर्णय किये जाने का अपीलान्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के कथनानुसार आराजी नंबर 102/4 रकबा 4 बीघा भूमि की नपती कर 4 बीघा से अधिक भूमि होने पर वादीगण को कब्जा सिपुर्द करने का आदेश दिया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–06–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 16–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

जगदीश पिता खेमा कुम्हार, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर बनाम **वरदीचन्द पिता मेघराज ब्राहमण, निवासी सालेडा, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**54 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....25**.....माह.....**06**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**16**....माह.....**03**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री एस.पी. गोस्वामी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री राजमल मेनारिया** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–06–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**16**.....माह.....**03**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 13:05:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: